<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-एम.एच.-अ.-07042020-219016 CG-MH-E-07042020-219016

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145] No. 145] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 7, 2020/चैत्र 18, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 7, 2020/CHAITRA 18, 1942

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 7 अप्रैल, 2020

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2020

- सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/09.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं (1क) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा, और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 के तहत, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,—
 - (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकेगा।
 - (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे ।
 - (3) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 में,-
 - I. विनियम 5 में, खंड (क) में, उप-खंड (iv) में, शब्दों "के सदस्य देशों से हों" के पश्चात् और चिह्न तथा शब्द ", जो" से पूर्व, चिह्न तथा शब्द ", अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश के जरिए या अन्य

1688 GI/2020 (1)

प्रभुतासंपन्न (सॉवरिन) सरकारों के साथ किए गए करार या की गई संधि के जरिए निर्धारित किए गए किसी देश से हों" अंतःस्थापित किए जाएँगे।

> अजय त्यागी, अध्यक्ष [विज्ञापन-III/4/असा./01/2020]

पाद टिप्पण:

- 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/36 द्वारा, 23 सितम्बर, 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 तत्पश्चात्,-
 - (1) 19 दिसम्बर 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/44, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 7th April, 2020

Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2020

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/09.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) of sub-section (2) of Section 11 and sub-sections (1) and (1A) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, and under Section 25 of the Depositories Act, 1996, the Securities and Exchange Board of India hereby, makes the following regulations, to further amend the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, namely,—

- (1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019
 - I. In regulation 5, in clause (a), in sub-clause (iv), after the words "member countries" and before the words "which are", the words and symbol ", or from any country specified by the Central Government by an order or by way of an agreement or treaty with other sovereign Governments," shall be inserted.

AJAY TYAGI, Chairman [ADVT.-III/4/Exty./01/2020]

Footnote:

- The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019 were published in the Gazette of India on September 23, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/36
- 2. The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019 were subsequently amended on,
 - (1) 19th December, 2019 by Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2019 *vide* No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/44.